ए.

केनरा बैंक

बनाम

जी. एस. जयराम

(2022 की सिविल अपील संख्या 3872)

बी.

19 मई, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़ और पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा**,** जे**.** जे**.]**

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987:धारा 22-सी-स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान-सुलह कार्यवाही यू/एस।22-ग, स्थायी लोक अदालत की प्रकृति, यदि अधिनियम के तहत न्यायिक कार्य हैं-आयोजितःसुलह कार्यवाही यू/एस।22-सी प्रकृति में अनिवार्य हैं -s.22-C एक कदम-दर-कदम योजना प्रदान करता है कि किसी मामले को कैसे आगे बढ़ाना है-पहला कदम आवेदन दाखिल करना है जो अन्य दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को हटा देता है-इसके बाद, आवश्यक प्रस्तुतियाँ और दस्तावेज दाखिल करने वाले पक्षों पर, स्थायी लोक अदालत पक्षों के बीच सुलह का प्रयास करती है और उसके बाद, समझौते की शर्तें तैयार करती है और उन्हें पक्षों को प्रस्तावित करती है-यदि पक्ष इसके लिए सहमत होते हैं, तो स्थायी लोक अदालत को एक पुरस्कार पारित करना होता है और यदि पक्ष सहमत नहीं होते हैं, तो स्थायी लोक अदालत गुण-दोष के आधार पर विवादों का फैसला कर सकती है जब तक कि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है-इस प्रकार, निर्णय केवल तभी किया जा सकता है जब पक्ष सुलह कार्यवाही के आधार पर तैयार किए गए समझौते की शर्तों से असहमत हों-स्थायी लोक अदालत 22-ख. उपयोग सेवाओं के संबंध में सुलहकारी और न्यायनिर्णायक दोनों कार्यों को करने के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाता है।22-सी-लोक अदालत ने यू/एस का गठन किया।19 एस के संदर्भ में कोई निर्णयात्मक कार्य नहीं कर सकता है।20 – तथ्यों पर, एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ का यह अभिनिर्णय कि स्थायी लोक न्यायालय का कोई न्यायिक कार्य नहीं है, और यह कि स्थायी लोक न्यायालयें पक्षों के बीच विवाद का निर्णय लेने में एक नियमित दीवानी न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकती हैं, स्पष्ट रूप से गलत है,

हालांकि, खंड पीठ ने सही माना कि स्थायी लोक न्यायालय अनिवार्य सुलह का पालन करने में विफल रही

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

162 ए.

163

केनरा बैंक बनाम जी. एस. जयराम ए.

स्थायी लोक अदालत के निर्णय के बाद से कार्यवाही पक्षकारों को समझौते की शर्तों का प्रस्ताव करने और उनकी अस्वीकृति के लिए उसके द्वारा किए गए किसी भी प्रयास का संकेत नहीं देती है-इसमें कहा गया है कि एक बार प्रत्यर्थी और उसका गारंटर पेश नहीं हुआ, तो उसने प्रत्यर्थी के पक्ष में गुण-दोष के आधार पर विवाद का फैसला किया, और स्थायी लोक अदालत ऐसा नहीं कर सकती थी और इस बिंदु पर डिवीजन बेंच ने स्थायी लोक अदालत के निर्णय को सही ढंग से अपास्त करना कर दिया।

बी.

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम **1987** की धारा **22-**सी एक चरण**-**दर**-**चरण योजना प्रदान करती है कि किसी मामले को स्थायी लोक अदालत के समक्ष कैसे आगे बढ़ाया जाए।पहला कदम उस आवेदन को दाखिल करना है जो उप**-**धारा **(1)** और **(2)** के अनुसार अन्य दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हटा देता है।दूसरा कदम उप**-**धारा **(3)** के अनुसार स्थायी लोक अदालत के समक्ष आवश्यक प्रस्तुतियाँ और दस्तावेज दाखिल करना है।अपनी संतुष्टि के लिए तीसरा कदम पूरा करने पर, स्थायी लोक अदालत उप**-**धारा **(4), (5)** और **(6)** के अनुसार पक्षों के बीच सुलह के प्रयास के चौथे चरण की ओर बढ़ सकती है।तत्पश्चात, उप**-**धारा **(7)** के अनुसार पांचवें चरण में, स्थायी लोक अदालत को सुलह की कार्यवाही के आधार पर समझौते की शर्तें तैयार करनी होती हैं और उन्हें पक्षों को प्रस्तुत करना होता है।यदि पक्षकार सहमत होते हैं, तो स्थायी लोक अदालत को समझौते की

सहमत शर्तों के आधार पर एक पुरस्कार पारित करना होता है।केवल तभी जब पक्ष पांचवें चरण पर एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, स्थायी लोक अदालत अंतिम चरण पर आगे बढ़ सकती है और विवाद को उसके गुण-दोष के आधार पर तय कर सकती है।**[**पैरा **24] [182-**जी-एच**; 183-**ए-सी**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

1.2 यह निवेदन कि यदि विरोधी पक्ष स्थायी लोक अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो वह सुलह की कार्यवाही को समाप्त कर सकता है और धारा **22-**सी **(8)** के तहत विवाद पर तुरंत निर्णय ले सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।भले ही विरोधी पक्ष उपस्थित न हो, फिर भी स्थायी लोक अदालत धारा **22-**सी द्वारा निर्धारित चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है। धारा **22-**सी **(3)** के तहत, इसके लिए पक्ष को अपनी प्रस्तुतियाँ और दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता होगी, और उन्हें अपनी प्रतिक्रिया के लिए विरोधी पक्ष को सूचित करने का सर्वोत्तम प्रयास करना होगा।यदि यह संतुष्ट है कि अनुपस्थित विरोधी पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो स्थायी लोक अदालत फिर भी प्रयास करेगी

जी.

एच.

धारा **22-**सी **(4)** के तहत निपटान के माध्यम से विवाद का निपटारा करें।यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि धारा **22-**सी **(5)** स्थायी लोक अदालत पर विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के प्रयास में स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का कर्तव्य अधिरोपित करती है, जबकि धारा **22-**सी **(6)** स्थायी लोक अदालत के समक्ष उपस्थित पक्ष पर सद्भावना से सहयोग करने और स्थायी लोक अदालत की सहायता करने का कर्तव्य अधिरोपित करती है।इसके बाद, स्थायी लोक अदालत, अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, समझौते की शर्तों का प्रस्ताव करेगी और उन्हें दोनों पक्षों को सूचित करेगी, चाहे उन्होंने कार्यवाही में भाग लिया हो या नहीं।यदि स्थायी लोक अदालत के समक्ष उपस्थित पक्ष सहमत नहीं होता है या यदि अनुपस्थित पक्ष पर्याप्त समय में जवाब नहीं देता है, तो ही स्थायी लोक अदालत धारा **22-**सी **(8)** के तहत अपने गुण-दोष के आधार पर विवाद पर निर्णय ले सकती है।धारा **22-**डी में निहित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, स्थायी लोक अदालत एक बार फिर अनुपस्थित पक्ष

को उसके गुण-दोष के आधार पर विवाद पर निर्णय लेने के अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगी, यदि वह उस स्तर पर कार्यवाही में शामिल होना चाहता है।[पैरा **26] [184-**डी-एच**; 185-**ए**]**

बी.

सी.

डी.

1.3 धारा **22-**सी **(8)** पूरी तरह से स्पष्ट है कि यह केवल तभी प्रभावी होती है जब धारा **22-**सी **(7)** के तहत कोई समझौता विफल हो जाता है।इसका परिणाम यह है कि धारा **22-**सी **(7)** के तहत समझौते की प्रस्तावित शर्तें और इससे पहले की सुलह कार्यवाही अनिवार्य हैं।यदि स्थायी लोक अदालतों को केवल एक पक्ष के अनुपस्थित होने के कारण इस कदम को दरकिनार करने की अनुमति दी जाती है, तो यह उनकी योग्यता के आधार पर विवादों का फैसला करने और पुरस्कार जारी करने के समान होगा जो अंतिम, बाध्यकारी होंगे और जिन्हें दीवानी अदालतों के फरमान माना जाएगा।एल. एस. ए. संशोधन अधिनियम पेश करने के समय संसद का यह इरादा नहीं था। इसका मुख्य लक्ष्य अभी भी सार्वजनिक उपयोगिताओं के संबंध में विवादों का सुलह और निपटान था, जिसमें गुण-दोष पर निर्णय हमेशा अंतिम उपाय था।इसलिए, एल. एस. ए. अधिनियम की धारा **22-**सी के तहत सुलह की कार्यवाही प्रकृति में अनिवार्य है।[पैरा **27] [185-**बी-डी**]**

ई.

एफ.

1.4 जैसा कि एल. एस. ए. संशोधन अधिनियम के साथ वस्तुओं और कारणों में उजागर किया गया है, इसकी शुरुआत ने दो अलग-अलग प्रकार की लोक अदालतों का निर्माण किया। पहला एल. एस. ए. अधिनियम की धारा **19** के तहत गठित एक लोक अदालत है, जिसमें कोई न्यायिक अधिकार नहीं है, जो केवल सुलह ए का संचालन कर सकती है।

जी.

एच.

कार्यवाही।दूसरा एक स्थायी लोक अदालत है, जिसे सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में एल. एस. ए. अधिनियम की धारा **22-**बी **(1)** के तहत स्थापित किया गया है, जो एल. एस. ए. अधिनियम की धारा **22-**सी के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अधीन सुलह और

निर्णयात्मक दोनों कार्यों को कर सकती है। एल. एस. ए. अधिनियम की योजना दो प्रकार की लोक अदालतों के बीच अंतर को स्पष्ट करती है।एल. एस. ए. अधिनियम की धारा **20** में प्रावधान है कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षों के बीच समझौता या समझौता करना होगा।यदि ऐसा कोई समझौता या समझौता नहीं किया जाता है, तो मामले का रिकॉर्ड उस न्यायालय को वापस कर दिया जाता है जिससे लोक न्यायालय को संदर्भ प्राप्त हुआ था।इसके बाद न्यायालय विवाद का फैसला करने के लिए आगे बढ़ेगी।दूसरी ओर, एल. एस. ए. अधिनियम की धारा **22-**सी में प्रावधान है कि किसी विवाद का एक पक्ष, न्यायालय के समक्ष विवाद लाने से पहले, यानी मुकदमेबाजी से पहले, किसी विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक न्यायालय में आवेदन कर सकता है।स्थायी लोक अदालत को पहले सुलह की कार्यवाही करनी चाहिए और विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।हालांकि, यदि पक्ष किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो यह विवाद का फैसला करेगा, जब तक कि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है।धारा **22-**डी आगे इंगित करती है कि स्थायी लोक अदालत को गुण-दोष के आधार पर पक्षों के बीच विवाद का फैसला करने का अधिकार है।एल. एस. ए. अधिनियम की धारा **19** के तहत गठित लोक अदालत की शक्तियों को एल. एस. ए. अधिनियम की धारा **22-**बी के तहत स्थापित स्थायी लोक अदालत को दी गई शक्तियों की प्रकृति से अलग किया जाना है। एल. एस. ए. अधिनियम की धारा **19** के तहत गठित लोक अदालतों के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करने के संदर्भ में यह माना जाता है कि लोक अदालत एल. एस. ए. अधिनियम की धारा **20** के संदर्भ में कोई न्यायिक कार्य नहीं कर सकती है। **[**पारस **28** और **31] [185-**ई-एच**; 186-**ए-बी**; 188-**डी-ई**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

1.5 उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा कि स्थायी लोक अदालत का कोई न्यायिक कार्य नहीं है।एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने विवादित फैसले में बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि स्थायी लोक न्यायालय पक्षों के बीच विवाद का निर्णय लेने में एक नियमित दीवानी न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकती है।एल. एस. ए. अधिनियम के विश्लेषण और इस न्यायालय के उदाहरणों के आधार पर, ऐसी समझ स्पष्ट रूप से गलत है।इसलिए, इन टिप्पणियों

जी.

एच.

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के फैसले गलत थे।साथ ही, खंड पीठ ने अपने विवादित फैसले में यह भी कहा कि स्थायी लोक अदालत तत्काल मामले में अनिवार्य सुलह कार्यवाही का पालन करने में विफल रही।यह अवलोकन सही है क्योंकि स्थायी लोक अदालत का निर्णय पक्षों को समझौते की शर्तों का प्रस्ताव देने और उनकी अस्वीकृति के लिए किए गए किसी भी प्रयास का संकेत नहीं देता है।इसमें कहा गया है कि एक बार जब प्रत्यर्थी और उसका गारंटर पेश नहीं हुए, तो उसने प्रत्यर्थी के पक्ष में गुण-दोष के आधार पर विवाद का फैसला किया।इस फैसले में पहले बताए गए कारणों से स्थायी लोक अदालत ऐसा नहीं कर सकती थी।इसलिए, स्थायी लोक अदालत के फैसले को दरकिनार करते हुए डिवीजन बेंच के अंतिम फैसले को बरकरार रखा जाता है।स्थायी लोक अदालतों की न्यायिक शक्तियों के संबंध में विवादित फैसले में खंड पीठ की टिप्पणियां गलत थीं, जबकि अपने अंतिम निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए क्योंकि स्थायी लोक अदालत तत्काल मामले में अनिवार्य सुलह कार्यवाही का पालन करने में विफल रही।**[**पैरा **32,33** और **34] [188-**एफ**-**जी**; 189-**ए**-**डी**]**

बी.

सी.

डी.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ **(2012) 8** एससीसी **243:[2012] 6** एस**.** सी**.** आर**. 1094;** यूनाइटेड इंडिया एस्योरेंस कं**.**

लिमिटेड वी.अजय सिन्हा और अन्य। (2008) 7 एससीसी 454:[2008] 8

एस**.** सी**.** आर**. 509;** इंटर ग्लोब एविएशन बनाम एन**.** सच्चिदानंद **(2011)**

ई.

7 एससीसी 463:[2011] 6 एस. सी. आर. 1116; जीवन बीमा

भारतीय निगम बनाम सुरेश कुमार **(2011) 7** एस**.** सी**.** सी**. 491;** पंजाब राज्य बनाम जालौर सिंह और अन्य। **(2008) 2**

एससीसी 660:[2008] 1 एस. सी. आर. 922; एस्टेट अधिकारी बनाम कर्नल एच. वी. मनकोटिया (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 898; न्यू ओखला

औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम यूनुस और अन्य।

एफ.

(2022) एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 138-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2012] 6 एससीआर **1094**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8 (i)**

जी.

[2008] 8 एससीआर **509**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

[2011] 6 एससीआर **1116**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

(2011) 7 एससीसी **491**

संदर्भित किया गया है

पैरा **31**

[2008] 1 एससीआर **922**

संदर्भित किया गया है

पैरा **31** ए

एच.

167

केनरा बैंक बनाम जी. एस. जयराम ए.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 3872।

2020 की रिट अपील संख्या 514 (जी. एम.-आर. ई. एस.) में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 06.03.2021 के निर्णय और आदेश से।राजेश कुमार गौतम, अनंत गौतम, निपुण शर्मा, सचिन सिंह, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए अनुभागों में विभाजित किया गया है।वे इस प्रकार हैं:

सी.

एक परिचय. 3 * बी वकीलों की दलीलें. 6 * सी विश्लेषण. 8 * सी. 1 कानूनी सेवा अधिनियम 1987 की विधायी रूपरेखा. 8 * सी. 2 सुलह कार्यवाही की अनिवार्य प्रकृति. 22 * सी. क्या स्थायी लोक अदालत में न्यायनिर्णायक है।

डी.

कार्य. 25 * डी निष्कर्ष. 29 *

ई.

एक परिचय

1. यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के 6 मार्च 2021 के एक फैसले उद्भूत हुई है है।एकल न्यायाधीश ने 3 जुलाई 2019 के एक निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा स्थापित रिट याचिका 1 को अनुमति दी, और 19 नवंबर 2014 के स्थायी लोक अदालत के एक पुरस्कार अपास्त करना कर दिया।डिवीजन बेंच ने अपीलार्थी की रिट अपील 2 को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा।

एफ.

2. यह विवाद सिंडिकेट बैंक 4 द्वारा 31 दिसंबर 2012 को स्थायी लोक अदालत में दायर एक आवेदन 3 उद्भूत हुई है है।

जी.

* मूल निर्णय में पृष्ठांकन को दर्शाता है।1 2019 की रिट याचिका संख्या 27778 (जी. एम.-आर. ई. एस.) 2 2020 की रिट अपील संख्या 514 (जी. एम.-आर. ई. एस.) 3 2013 की पी. एल. डी. संख्या 69

4 1 अप्रैल 2020 से, इसे बैंकिंग की धारा 9 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा 4 मार्च 2020 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से अपीलार्थी के साथ विलय कर दिया गया है।

एच.

मैंगलोर कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22-सी (1) के तहत।प्रत्यर्थी और उसके गारंटर के खिलाफ आवेदन दायर किया गया था, अपीलार्थी से प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त रुपये 2,40,583 के मूल्य में क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में।अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि ब्याज के साथ ₹1 की राशि 1 अक्टूबर 2012 को देय हो गई थी, लेकिन प्रत्यर्थी ने कई नोटिसों और अनुरोधों के बावजूद इसे वापस नहीं किया था।इसलिए, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी और उसके गारंटर से 15.75 प्रतिशत की दर से ब्याज और लागत के साथ 2,40,583 रुपये की वसूली के लिए अनुरोध किया।

बी.

3. स्थायी लोक अदालत द्वारा 10 जनवरी 2013 को प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया था, जिसका कथित रूप से प्रत्यर्थी द्वारा दावा नहीं किया गया था।इसलिए, 12 मार्च 2013 को, स्थायी लोक अदालत ने प्रत्यर्थी के संबंध में सेवा को पूर्ण माना और समझौते की रिपोर्ट करने के लिए मामले को 6 जून 2013 तक के लिए स्थगित कर दिया।इसके बाद, कथित तौर पर 22 अगस्त 2013 को, एक वकील ने प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थिति का ज्ञापन दायर किया और प्रत्यर्थी की ओर से वकालतनामा और आपत्तियां दायर करने की अनुमति देने के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया।6 फरवरी 2014 को, एक अन्य वकील पर प्रत्यर्थी की ओर से वकालतनामा दायर करने का आरोप है, और मामले को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया।

सी.

डी.

4. चूंकि इसके बाद किसी ने भी प्रत्यर्थी की ओर से कार्यवाही में भाग नहीं लिया, इसलिए अपीलार्थी ने 17 नवंबर 2014 को अपना अंतिम हलफनामा दायर किया, जब स्थायी लोक अदालत ने मामले को अपने निर्णय के लिए सुरक्षित रखा।19 नवंबर 2014 को अपने पुरस्कार में स्थायी लोक अदालत ने उल्लेख किया

ई.

कि प्रत्यर्थी "एक अधिवक्ता के माध्यम से पेश हुआ, लेकिन कार्यवाही में भाग नहीं लिया" जबकि उसका गारंटर "हालांकि notices.did के साथ कार्यवाहियों में भाग नहीं लिया"।इसके अलावा यह भी

नोट किया कि कोई सुलह की सूचना नहीं दी गई थी।इसलिए, स्थायी लोक अदालत ने अपीलार्थी द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दायर आवेदन को अनुमति दी और प्रत्यर्थी और उसके गारंटर को अपीलार्थी को प्राप्ति की तारीख तक 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ ₹1 की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।अपीलार्थी ने सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुलिया, दक्षिण कन्नड़ के समक्ष स्थायी लोक अदालत के फैसले के निष्पादन के लिए एक याचिका 6 दायर की।

एफ.

जी.

कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970।इसलिए, इस निर्णय में इसे "अपीलार्थी " के रूप में भी संदर्भित किया गया है।

5 “ एलएसए अधिनियम "

6 2019 ए की पूर्व संख्या 9

एच.

169

केनरा बैंक बनाम जी. एस. जयराम

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

5. जबकि अपीलार्थी की फांसी की याचिका लंबित थी और गिरफ्तारी नोटिस जारी होने पर, प्रत्यर्थी ने 19 नवंबर 2014 को स्थायी लोक अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए 1 जुलाई 2019 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की।एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी को नोटिस जारी किए बिना 3 जुलाई 2019 के एक फैसले द्वारा रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।19 नवंबर 2014 के फैसले को दरकिनार करते हुए एकल न्यायाधीश ने कहाः

बी.

“6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लोक अदालत (एस. आई. सी.) का [कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987] के अनुसार कोई न्यायिक कार्य नहीं है, दिनांकित [आई. डी. 1] के विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अपास्त करना दिया जाता है। 7. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा प्रत्यर्थी को कानून के तहत उनके लिए उपलब्ध उपचार का सहारा लेने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है।”

सी.

6. 3 जुलाई 2019 के कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के आधार पर, अपीलार्थी की फांसी की याचिका 22 जुलाई 2019 को खारिज कर दी गई थी।अपीलार्थी का आरोप है कि यह तब हुआ जब उन्हें एकल न्यायाधीश के फैसले के बारे में पता चला और उसके बाद उन्होंने एक रिट अपील दायर की।

डी.

7. 6 मार्च 2021 के अपने विवादित फैसले से कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट अपील को खारिज कर दिया।रिट अपील को खारिज करते हुए, डिवीजन बेंच ने कहाः

ई.

"9. उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि यदि पक्ष विवाद के निपटारे पर किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो वे निपटान समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और स्थायी लोक अदालत उसके संदर्भ में एक पुरस्कार पारित करेगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक संबंधित पक्ष को पहली बार में प्रस्तुत करेगी और इसके बाद ही जब पक्ष उप-धारा (7) के तहत किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो स्थायी लोक अदालत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक पुरस्कार पारित कर सकती है।वर्तमान मामले में ऐसी किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोई कार्यवाही नहीं हुई।चूंकि वे उपस्थित नहीं हुए, इसलिए समझौते पर हस्ताक्षर करने का सवाल ही नहीं उठता।लोक अदालत कार्यवाही के निर्णय में एक नियमित दीवानी न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकती थी।इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश को रिट याचिका को अनुमति देने में उचित ठहराया गया था।इस न्यायालय को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।"

एफ.

जी.

एच.

इस प्रकार, खंड पीठ ने दो आधारों पर रिट अपील को खारिज कर दियाःपहला, कि एल. एस. ए. अधिनियम की धारा 22-सी के तहत सुलह की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, और इसलिए, धारा 22-सी (8) के तहत पुरस्कार एक शून्य था; और दूसरा, स्थायी लोक न्यायालय कार्यवाही का निर्णय लेने में एक नियमित दीवानी न्यायालय के रूप में काम नहीं कर सकती थी।

बी वकील की प्रस्तुतियाँ

बी.

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार गौतम ने निम्नलिखित दलीलें दी हैंः

(i) विवादित निर्णय एल. एस. ए. अधिनियम के अध्याय-VI-ए में निहित प्रावधानों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ 7 में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत है, जितना कि उच्च न्यायालय ने कहा कि स्थायी लोक अदालतों का कोई न्यायिक कार्य नहीं है।

सी.

((ii) सुलह की कार्यवाही में भाग लेने के लिए प्रत्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिया गया था।

डी.

(iii) यदि पक्ष सुलह की कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहते हैं, तो स्थायी लोक अदालत के पास विवाद का फैसला करने के लिए आगे बढ़ने और एल. एस. ए. अधिनियम की धारा 22-सी के तहत निर्णय पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

(iv) एल. एस. ए. अधिनियम की धारा 22-ई के तहत, स्थायी लोक न्यायालय द्वारा पारित एक पुरस्कार को दीवानी न्यायालय का आदेश माना जाता है और ऐसा पुरस्कार अंतिम होता है और किसी भी मूल मुकदमे, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

ई.

(v) एल. एस. ए. अधिनियम में अध्याय VI-ए को लागू करने के पीछे का उद्देश्य और उद्देश्य निराश होगा यदि स्थायी लोक अदालत को किसी विवाद पर निर्णय लेने की शक्ति से वंचित कर दिया जाता है यदि कोई पक्ष जानबूझकर सुलह की कार्यवाही में उपस्थित होने और भाग लेने से बचता है, स्थायी लोक अदालत से नोटिस प्राप्त करने के बाद भी और पिछले अवसर पर एक अधिवक्ता के माध्यम से पेश होने के बाद भी; और

एफ.

जी.

(vi) सुलह कार्यवाही का समापन स्थायी लोक के प्रयोग की पूर्व शर्त नहीं है।

7 (2012) 8 एस. सी. सी. 243 (बार काउंसिल ऑफ इंडिया)

एच.

171

केनरा बैंक बनाम जी. एस. जयराम

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

अदालत का न्यायनिर्णायक कार्य यदि कोई पक्ष सुलह कार्यवाही के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है।

9. प्रत्यर्थी को सामान्य सेवा के साथ-साथ दस्ती द्वारा भी सूचना दी गई थी।जबकि प्रत्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक एडी कार्ड सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त किया गया था, किसी ने भी प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थिति दर्ज नहीं की।

बी.

सी विश्लेषण

10. वर्तमान अपील में दो मुद्दे उठते हैंः

(i) क्या एल. एस. ए. अधिनियम की धारा 22-सी के तहत सुलह की कार्यवाही अनिवार्य है; और

सी.

((ii) क्या स्थायी लोक अदालतों के एल. एस. ए. अधिनियम के तहत न्यायिक कार्य हैं।

ग**. 1** विधिक सेवा की विधायी रूपरेखा अधिनियम**, 1987**

11. इन मुद्दों को हल करने के लिए, एल. एस. ए. अधिनियम के वैधानिक ढांचे को समझना महत्वपूर्ण है। एल. एस. ए. अधिनियम के अध्याय VI का शीर्षक "लोक अदालत" है।धारा 19 8 के आधार पर रूपरेखा प्रदान करता है -

डी.

8 “19. लोक अदालतों का संगठन।—(1) प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति या, जैसा भी मामला हो, तालुक कानूनी सेवा समिति ऐसे अंतरालों और स्थानों पर और ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है जो वह उचित समझे।

ई.

(2) किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में इतनी संख्या में (क) सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे; और

((ख) अन्य व्यक्ति,

राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति या उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, या, जैसा भी मामला हो, तालुक कानूनी सेवा समिति द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र का, जो ऐसी लोक अदालत का आयोजन करती है।(3) उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के लिए उप-धारा (2) के खंड (बी) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और योग्यताएं ऐसी होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से निर्धारित की जाएं।

एफ.

(4) लोक अदालतों के लिए उप-धारा (2) के खंड (बी) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और योग्यताएं, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट के अलावा, ऐसी होंगी जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं।

जी.

(5) लोक अदालत के पास निम्नलिखित के संबंध में किसी विवाद के पक्षकारों के बीच समझौता या समझौता करने और उस पर पहुंचने का अधिकार क्षेत्र होगा -

((i) इससे पहले लंबित कोई मामला; या

((ii) कोई भी मामला जो किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसके समक्ष नहीं लाया जाता है, जिसके लिए लोक न्यायालय आयोजित की जाती हैः

बशर्ते कि लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी मामले या मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी कानून के तहत शमनीय न हो।"

एच.

किन लोक अदालतों का आयोजन किया जाना है।विशेष रूप से, धारा 19 (5) में प्रावधान है कि लोक अदालतों को किसी मामले के संबंध में पक्षों के बीच समझौता करने और समझौता करने का अधिकार क्षेत्र होगाः((i) जिस न्यायालय के लिए लोक न्यायालय आयोजित की जाती है, उसके समक्ष लंबित; या (ii) उस न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है जिसके लिए लोक न्यायालय आयोजित की जाती है, लेकिन जो उसके अधिकार क्षेत्र में आती है।परंतुक में कहा गया है कि लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से संबंधित मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी भी कानून के तहत शमनीय नहीं है।

बी.

12. धारा 20 9 उन मामलों के प्रकार को रेखांकित करती है जिनका संज्ञान लोक अदालतों द्वारा लिया जा सकता है।धारा 20 (1) में यह प्रावधान है कि जब कोई मामला

9 "20. लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान।—(1) जहाँ किसी भी मामले में निर्दिष्ट किया गया है

सी.

धारा 19 की उप-धारा (5) का खंड (i), (i) (क) इसके पक्षकार सहमत हैं; या

(ख) उसके पक्षों में से एक पक्ष न्यायालय में आवेदन करता है,

मामले को निपटारे के लिए लोक न्यायालय को भेजने के लिए और यदि ऐसा न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि इस तरह के निपटारे की संभावना है; या

((ख) न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि यह मामला लोक न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया जाना उचित है।

डी.

न्यायालय मामले को लोक न्यायालय को भेजेगाः

बशर्ते कि ऐसे न्यायालय द्वारा खंड (i) या खंड (ii) के उपखंड (ख) के तहत कोई भी मामला पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के अलावा लोक न्यायालय को नहीं भेजा जाएगा।

(2) तत्काल प्रभाव से किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 19 की उप-धारा (1) के तहत लोक अदालत का आयोजन करने वाला प्राधिकरण या समिति, धारा 19 की उप-धारा (5) के खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए किसी भी पक्ष से आवेदन प्राप्त करने पर कि ऐसा मामला लोक अदालत द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, ऐसे मामले को निर्धारण के लिए लोक अदालत को भेज सकती हैः

ई.

बशर्ते कि कोई भी मामला दूसरे पक्ष को सुनने का उचित अवसर देने के अलावा लोक अदालत को नहीं भेजा जाएगा।

(3) जहां कोई मामला उप-धारा (1) के तहत लोक अदालत को भेजा जाता है या जहां उप-धारा (2) के तहत उसे निर्देश दिया गया है, वहां लोक अदालत मामले या मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगी और पक्षों के बीच समझौता या समझौता करेगी।

एफ.

(4) प्रत्येक लोक अदालत, इस अधिनियम के तहत उसके समक्ष किसी भी संदर्भ का निर्धारण करते समय, पक्षों के बीच एक समझौते या समझौते पर पहुंचने के लिए अत्यधिक अभियान के साथ कार्य करेगी और न्याय, समानता, निष्पक्षता और अन्य कानूनी सिद्धांतों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी।(5) जहां लोक न्यायालय द्वारा इस आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जाता है कि पक्षों के बीच कोई समझौता या समझौता नहीं किया जा सकता है, तो मामले का रिकॉर्ड उस न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा, जिससे उप-धारा (1) के तहत कानून के अनुसार निपटान के लिए संदर्भ प्राप्त किया गया है।

जी.

(6) जहां लोक न्यायालय द्वारा इस आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जाता है कि उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी मामले में पक्षों के बीच कोई समझौता या समझौता नहीं किया जा सकता है, तो लोक न्यायालय पक्षों को न्यायालय में उपचार लेने की सलाह देगी।

(7) जहाँ उप-धारा (5) के अधीन मामले का अभिलेख न्यायालय को लौटा दिया जाता है, वहाँ ऐसा न्यायालय उस स्तर से ऐसे मामले से निपटने के लिए आगे बढ़ेगा जो उप-धारा (1) के अधीन ऐसे निर्देश से पहले पहुँचा गया था।"

एच.

173

केनरा बैंक बनाम जी. एस. जयराम

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

न्यायालय के समक्ष लंबित (धारा 19 (5) (i) के अनुसार), न्यायालय मामले को निपटारे के लिए लोक न्यायालय को भेज सकती है यदिः(i) पक्षकार सहमत होते हैं; (ii) एक पक्ष आवेदन करता है; या (iii) न्यायालय संतुष्ट होता है कि मामला लोक न्यायालय के लिए उपयुक्त है। परंतुक में कहा गया है कि परिदृश्य (ii) और (iii) में, न्यायालय पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ही अपना निर्णय लेगा।धारा 20 (2) में प्रावधान है कि जब कोई प्राधिकरण या लोक अदालत का आयोजन करने वाली समिति को कोई आवेदन प्राप्त होता है (धारा 19 (5) (ii) के अनुसार), तो वह यह निर्धारित करेगी कि उसे लोक अदालत को भेजा जाए या नहीं।परंतुक में कहा गया है कि यह पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ही अपना निर्धारण करेगा।धारा 20 (3) इंगित करती है कि जब कोई मामला धारा 20 (1) और (2) के तहत लोक अदालत को भेजा जाता है, तो वह मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगा और पक्षों के बीच समझौता या समझौता करेगा।धारा 20 (4) में प्रावधान है कि किसी मामले के निपटारे में लोक अदालत न्याय, समानता, निष्पक्षता और अन्य कानूनी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी।यदि लोक अदालत पक्षों के बीच समझौता करने में असमर्थ है और कोई निर्णय नहीं दिया जाता है, तो वहः(i) यदि मामला धारा 20 (1) (धारा 20 (5) के अनुसार) के तहत प्राप्त किया गया था, तो न्यायालय को वापस कर दें, जो उस स्तर से इसकी सुनवाई फिर से शुरू करेगी जहां इसे लोक न्यायालय को भेजा गया था (धारा 20 (7) के अनुसार); या (ii) पक्षों को सलाह दें कि यदि यह धारा 20 (2) (धारा 20 (6) के अनुसार) के तहत प्राप्त किया गया था, तो वे न्यायालय से संपर्क करें।

बी.

सी.

डी.

ई.

13. धारा 21 10 में कहा गया है कि लोक न्यायालयों के पुरस्कारों को दीवानी न्यायालय की डिक्री या, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा।ये पुरस्कार विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे, और पुरस्कार के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।इसके अलावा, जब किसी लोक न्यायालय द्वारा धारा 20 (1) के तहत भेजे गए मामले में समझौता किया जाता है, तो पक्षों को उनकी न्यायालय की फीस वापस कर दी जाएगी।

एफ.

14. धारा 22 लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों की शक्तियों को रेखांकित करती है। धारा 22 नीचे निकाली गई हैः

जी.

10 “21. लोक अदालत का पुरस्कार।—(1) लोक न्यायालय के प्रत्येक अधिनिर्णय को दीवानी न्यायालय की डिक्री या, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा और जहां धारा 20 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट मामले में लोक न्यायालय द्वारा कोई समझौता या समझौता किया गया है, ऐसे मामले में भुगतान की गई न्यायालय-शुल्क को न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) के तहत प्रदान की गई तरीके से वापस किया जाएगा।

(2) लोक न्यायालय द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा और विवाद के सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा, और निर्णय के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।”

एच.

“22. लोक अदालतों की शक्तियाँ।—(1) लोक न्यायालय या स्थायी लोक न्यायालय के पास, इस अधिनियम के तहत कोई भी निर्धारण करने के उद्देश्यों के लिए, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत एक दीवानी न्यायालय में निहित हैं, जब निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक मुकदमे की सुनवाई की जाती है, अर्थात्:— (क) किसी भी गवाह को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और शपथ पर उससे पूछताछ करना;

बी.

(ख) किसी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुत करना; (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

((घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की मांग करना; और

सी.

((ङ) ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जाएं।

(2) उप-धारा (1) में निहित शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत को अपने समक्ष आने वाले किसी भी विवाद के निर्धारण के लिए अपनी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियां होंगी।

डी.

(3) लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाहियों को भारतीय न्यायालय संहिता (1860 का 45) की धारा 193,219 और 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक

कार्यवाहियां माना जाएगा और प्रत्येक लोक अदालत को न्यायालय प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय XXVI के उद्देश्य के लिए एक दीवानी अदालत माना जाएगा।"

ई.

धारा 22 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों को एल. एस. ए. अधिनियम के तहत अपना निर्धारण करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-11 के तहत दीवानी अदालतों के समान शक्ति होगी। उप-धारा (2), उप-धारा (1) के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों को अपनी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करती है।उप-धारा (3) में कहा गया है कि लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों के समक्ष कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।

एफ.

जी.

15. इन प्रावधानों से पता चलता है कि लोक अदालत की शक्ति सीमित है, भले ही उसके पास दीवानी अदालतों की कुछ शक्तियां हो सकती हैं और उसके सामने की कार्यवाही में न्यायिक कार्यवाही के कुछ अंश हो सकते हैं।लोक अदालत केवल किसी समझौते या समझौते तक पहुंचने का प्रयास करेगी।

11 " सीपीसी "

एच.

175

केनरा बैंक बनाम जी. एस. जयराम

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

उन पक्षों के बीच जिनका मामला उसके समक्ष है।यदि कोई समझौता या समझौता हो जाता है, तो लोक न्यायालय इसे अपने निर्णय के रूप में जारी करेगी, और क़ानून इसे न्यायालय की डिक्री के बराबर मानता है, जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।दूसरी ओर, यदि यह किसी समझौते या समझौते पर पहुंचने में विफल रहता है, तो लोक न्यायालय मामले को न्यायालय में वापस कर देगी या पक्षों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह देगी।

बी.

16. दूसरी ओर, स्थायी लोक अदालतों का गठन एल. एस. ए. अधिनियम के अध्याय VI-ए के तहत "पूर्व-मुकदमा सुलह और निपटान" शीर्षक से किया जाता है।इस अध्याय को कानूनी सेवा

प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2002 12 द्वारा एल. एस. ए. अधिनियम में जोड़ा गया था। जब एल. एस. ए. अधिनियम की धारा 19 के तहत गठित लोक अदालतें पहले से ही अस्तित्व में थीं, तब विवादों को हल करने के लिए इस तरह के संस्थागत तंत्र को शुरू करने के लिए तर्क का विश्लेषण करना आवश्यक है।एल. एस. ए. संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार हैः

सी.

"(1) कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को समाज के कमजोर वर्गों को (एस. आई. सी.) और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरणों का गठन करने के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाए कि कानूनी प्रणाली के संचालन से समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा मिले।लोक अदालत की प्रणाली, जो वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए एक अभिनव तंत्र है, अदालतों के बाहर सुलह की भावना से विवादों को हल करने के लिए प्रभावी साबित हुई है।

डी.

ई.

(2) हालाँकि**,** उक्त अधिनियम के अध्याय **VI** के तहत लोक अदालतों के संगठन की मौजूदा योजना में प्रमुख कमी यह है कि लोक अदालतों की प्रणाली मुख्य रूप से पक्षों के बीच समझौते या समझौते पर आधारित है।यदि पक्षकार किसी समझौते या समझौते पर नहीं पहुंचते हैं**,** तो मामला या तो न्यायालय में वापस कर दिया जाता है या पक्षकारों को न्यायालय में उपचार लेने की सलाह दी जाती है।यह न्याय के वितरण में अनावश्यक देरी का कारण बनता है।यदि लोक अदालतों को गुण**-**दोष के आधार पर मामलों को तय करने की शक्ति दी जाती है**,** यदि पक्ष किसी समझौते या समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं**,** तो इस समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।इसके अलावा**,**

एफ.

जी.

सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में उत्पन्न होने वाले मामले जैसे -

12 2002 का अधिनियम 37 (एल. एस. ए. संशोधन अधिनियम)

एच.

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली विद्युत बोर्ड आदि को तत्काल निपटाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को मुकदमेबाजी से पहले के स्तर पर भी बिना किसी देरी के न्याय मिल सके और इस प्रकार अधिकांश छोटे मामले जो नियमित अदालतों में नहीं जाने चाहिए, उनका निपटारा मुकदमेबाजी से पहले के स्तर पर ही किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप नियमित अदालतों का कार्यभार काफी हद तक कम हो जाएगा।इसलिए, यह प्रस्तावित है

बी.

सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों के सुलह और निपटारे के लिए अनिवार्य पूर्व-मुकदमेबाजी तंत्र प्रदान करने के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम**, 1987** में संशोधन करना।**”**

(बल दिया गया)

सी.

उद्देश्यों और कारणों के विवरण से संकेत मिलता है कि एल. एस. ए. अधिनियम में अध्याय VI-ए को मुख्य रूप से स्थायी लोक अदालतों के रूप में वैकल्पिक विवाद समाधान निकायों के निर्माण के लिए पेश किया गया था, ताकि यदि पक्ष किसी समझौते या समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं तो गुण-दोष के आधार पर विवादों का फैसला किया जा सके।17. एल. एस. ए. अधिनियम की धारा 22-बी स्थायी लोक अदालतों की स्थापना का प्रावधान करती है।धारा 22-बी इस प्रकार निर्धारित करती हैः

डी.

“ 22-ख. स्थायी लोक अदालतों की स्थापना।—(1)

धारा 19 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्रीय प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करेगा और एक या अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में और ऐसे क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएं।

ई.

(2) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित क्षेत्र के लिए स्थापित प्रत्येक स्थायी लोक अदालत में -

एफ.

(क) एक व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश है या रहा है या जिला न्यायाधीश से उच्च पद पर न्यायिक पद धारण किया है, वह स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष होगा; और

(ख) सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में पर्याप्त अनुभव रखने वाले दो अन्य व्यक्तियों को केंद्र सरकार या, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय प्राधिकरण की सिफारिश पर राज्य सरकार या, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त राज्य प्राधिकरण या, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण द्वारा, ऐसी स्थायी लोक अदालत स्थापित करने के लिए नामित किया जाएगा और

जी.

एच.

177

केनरा बैंक बनाम जी. एस. जयराम

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

खंड (ख) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं।"

धारा 22-बी की उप-धारा (1) में कहा गया है कि एल. एस. ए. अधिनियम के तहत केंद्रीय या राज्य प्राधिकरण एक या अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (धारा 22-ए (बी) 13 के तहत परिभाषित) और विशिष्ट क्षेत्रों के संबंध में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करेगा।उप-धारा (2) केंद्रीय या राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्थायी लोक अदालत की सदस्यता प्रदान करती है, जिसमें शामिल होंगेः(i) इसके अध्यक्ष, जो एक ऐसा व्यक्ति है, जो एक जिला न्यायाधीश या एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा है या जिसने जिला न्यायाधीश से उच्च पद पर न्यायिक पद संभाला है; और (ii) दो अन्य व्यक्ति जिन्हें सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में पर्याप्त अनुभव है, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय या राज्य प्राधिकरण की सिफारिश पर नामित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।18. एल. एस. ए. अधिनियम की धारा 22-सी उन उदाहरणों को निर्धारित करती है जिनमें स्थायी लोक अदालतें मामलों का संज्ञान ले सकती हैं।धारा 22-सी निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

बी.

सी.

डी.

" 22-ग. स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान।—

(1) विवाद का कोई भी पक्ष, विवाद को किसी भी न्यायालय के समक्ष लाए जाने से पहले, विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक न्यायालय में आवेदन कर सकता हैः

ई.

बशर्ते कि स्थायी लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी कानून के तहत शमनीय न होः

एफ.

13 " 22-ए. परिभाषाएँ।—इस अध्याय में और धारा 22 और 23 के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, -

[...]

(ख) "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" से कोई भी -

(i) हवाई, सड़क या पानी द्वारा यात्रियों या माल की ढुलाई के लिए परिवहन सेवा; या (ii) डाक, तार या टेलीफोन सेवा; या

जी.

((iii) किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति; या (iv) सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली; या

(v) अस्पताल या औषधालय में सेवा; या (vi) बीमा सेवा,

और इसमें कोई भी सेवा शामिल है जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, लोक हित में, अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर सकती है।"

एच.

बशर्ते कि स्थायी लोक अदालत का भी उस मामले में अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जहां विवाद में संपत्ति का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक हैः

परंतुक कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण के परामर्श से दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट दस लाख रुपये की सीमा बढ़ा सकती है।

बी.

(2) स्थायी लोक न्यायालय में उप-धारा (1) के तहत आवेदन किए जाने के बाद, उस आवेदन का कोई भी पक्ष उसी विवाद में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान नहीं करेगा।

(3) जहां उप-धारा (1) के तहत किसी स्थायी लोक अदालत में आवेदन किया जाता है, वह -

सी.

(क) आवेदन में प्रत्येक पक्ष को अपने समक्ष एक लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश देगा, जिसमें आवेदन के तहत विवाद के तथ्यों और प्रकृति, ऐसे विवाद में बिंदुओं या मुद्दों और ऐसे बिंदुओं या मुद्दों के समर्थन में या उनके विरोध में आधारों का उल्लेख होगा, और ऐसा पक्ष ऐसे बयान को किसी भी दस्तावेज और अन्य साक्ष्य के साथ पूरक कर सकता है जो ऐसा पक्ष ऐसे तथ्यों और आधारों के प्रमाण में उचित समझता है और ऐसे बयान की एक प्रति ऐसे दस्तावेज और अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, की एक प्रति के साथ आवेदन के प्रत्येक पक्ष को भेजेगा; (ख) किसी भी पक्ष को सुलह कार्यवाही के किसी भी चरण में उसके समक्ष अतिरिक्त बयान दायर करने के लिए आवेदन के लिए आवश्यक हो सकता है; (ग) किसी भी पक्ष से प्राप्त किसी भी दस्तावेज या बयान को किसी भी पक्ष से संप्रेषित करेगा।

डी.

ई.

एफ.

(4) जब स्थायी लोक अदालत की संतुष्टि के लिए उप-धारा (3) के तहत बयान, अतिरिक्त बयान और जवाब, यदि कोई हो, दायर किया गया हो, तो यह आवेदन के पक्षों के बीच सुलह की कार्यवाही इस तरह से करेगा कि वह विवाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे।

जी.

(5) स्थायी लोक अदालत, उप-धारा (4) के तहत सुलह की कार्यवाही के संचालन के दौरान, पक्षों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के उनके प्रयास में सहायता करेगी।

(6) आवेदन के प्रति प्रत्येक पक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह ए के सुलह में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावना से सहयोग करे।

एच.

179

केनरा बैंक बनाम जी. एस. जयराम

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

आवेदन से संबंधित विवाद और उसके समक्ष साक्ष्य और अन्य संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए स्थायी लोक अदालत के निर्देश का पालन करना।

(7) जब किसी स्थायी लोक अदालत की, उपरोक्त सुलह कार्यवाही में, यह राय होती है कि ऐसी कार्यवाहियों में निपटारे के तत्व मौजूद हैं जो पक्षों को स्वीकार्य हो सकते हैं, तो वह विवाद के संभावित निपटारे की शर्तें तैयार कर सकती है और संबंधित पक्षों को अपनी टिप्पणियों के लिए दे सकती है और यदि पक्ष विवाद के निपटारे पर किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो वे निपटान समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और स्थायी लोक अदालत उसके संदर्भ में एक पुरस्कार पारित करेगी और संबंधित पक्षों में से प्रत्येक को इसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगी।

बी.

सी.

(8) जहां पक्ष उप-धारा (7) के तहत किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, स्थायी लोक अदालत, यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है, तो विवाद का फैसला करेगी।"

धारा 22-सी की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि किसी विवाद का कोई भी पक्ष (धारा 22-बी के अनुसार स्थायी लोक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है) न्यायालय जाने से पहले स्थायी लोक न्यायालय से संपर्क कर सकता है।परंतुक में इसके दो अपवादों का उल्लेख किया गया हैः((i) विवाद किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी मामले के संबंध में नहीं होगा जो किसी कानून के तहत शमनीय नहीं है और (ii) विवादग्रस्त संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।हालांकि, तीसरे परंतुक में कहा गया है कि केंद्र सरकार केंद्रीय प्राधिकरण के परामर्श से एक अधिसूचना के माध्यम से इस राशि को बढ़ा सकती है।वास्तव में, 20 मार्च 2015-14 की एक अधिसूचना द्वारा इस राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।उप-धारा (2) के तहत, एक बार जब किसी विवाद के संबंध में उप-धारा (1) के तहत स्थायी लोक न्यायालय में आवेदन किया जाता है, तो किसी भी न्यायालय को उस पर अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।उप-धारा (3) के अनुसार, एक बार स्थायी लोक अदालत को उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने के बाद, यह

डी.

ई.

एफ.

14 " नोटिस।नहीं। एस. ओ. 803 (ई), दिनांक 20 मार्च, 2015।—प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 22-सी की उप-धारा (1) के तीसरे परंतुक द्वारा और भारत सरकार, कानून और न्याय मंत्रालय (कानूनी कार्य विभाग), अधिसूचना संख्या एस. ओ. 2083 (ई), दिनांक 15 सितंबर, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii), दिनांक 15 सितंबर, 2011 में प्रकाशित, केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्राधिकरण के परामर्श से, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से

स्थायी लोक अदालत की अधिकारिता परंतुक करने के उद्देश्य से विवादित संपत्ति के मूल्य की सीमा को बढ़ाकर "एक करोड़ रुपये" कर दिया है।”

जी.

एच.

दोनों पक्षों को अपनी तथ्यात्मक प्रस्तुतियों, उठाए गए मुद्दों और अग्रिम तर्कों को रेखांकित करते हुए विस्तृत प्रस्तुतिकरण दाखिल करने का निर्देश दे सकते हैं।अपनी दलीलों का समर्थन करने के लिए, पक्षों को दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करने की अनुमति दी जाएगी।इसके अलावा, स्थायी लोक अदालत पक्षों को अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ दायर करने का निर्देश दे सकती है।यह एक पक्ष द्वारा प्राप्त किसी भी प्रस्तुति या दस्तावेज को दूसरे पक्ष को सूचित करेगा, ताकि वे जवाब दे सकें।एक बार उप-धारा (3) के तहत प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, स्थायी लोक अदालत, उप-धारा (4) के अनुसार, विवादों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पक्षों के बीच सुलह की कार्यवाही का संचालन करेगी।उप-धारा (4) के तहत सुलह की कार्यवाही के दौरान, उप-धारा (5) स्थायी लोक अदालत पर स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने में पक्षों की सहायता करने का कर्तव्य लगाती है।दूसरी ओर, उप-धारा (6) पक्षकारों पर यह कर्तव्य अधिरोपित करती है कि वे स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावना से सहयोग करें और विवाद के समाधान के लिए आवश्यक कोई भी साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करें। उप-धारा (7) स्थायी लोक अदालत को, जब यह राय होती है कि पक्षों के बीच एक समझौता मौजूद है, तो इस तरह के समझौते की शर्तों को तैयार करने और इसे पक्षों को प्रस्तुत करने का अधिकार देती है।यदि पक्ष समझौते की शर्तों के लिए सहमत हैं, तो स्थायी लोक अदालत उन शर्तों को शामिल करते हुए एक पुरस्कार पारित करेगी और प्रत्येक पक्ष को एक प्रति प्रदान करेगी।अंत में, यदि पक्ष उप-धारा (7) के तहत किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो स्थायी लोक अदालत उप-धारा (8) के तहत गुण-दोष के आधार पर विवाद का फैसला कर सकती है, यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

19. धारा 22-डी 15 में कहा गया है कि सुलह की कार्यवाही करते समय या विवाद को उसके गुण-दोष के आधार पर तय करते समय, स्थायी लोक सभा

अदालत "प्राकृतिक न्याय, निष्पक्षता, निष्पक्षता, समानता और न्याय के अन्य सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी" और

एफ.

सी. पी. सी. और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा बाध्य नहीं होगा। 20.धारा 22-ई स्थायी लोक अदालत के पुरस्कार से संबंधित है, और यह प्रदान करती है किः

" 22-ई. स्थायी लोक अदालत का पुरस्कार अंतिम होगा।—(1) प्रत्येक

जी.

इस अधिनियम के तहत स्थायी लोक अदालत का पुरस्कार या तो दिया गया

15 " 22-घ. स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया।—स्थायी लोक अदालत,

इस अधिनियम के तहत सुलह की कार्यवाही करते समय या योग्यता के आधार पर किसी विवाद का निर्णय लेते समय, प्राकृतिक न्याय, निष्पक्षता, निष्पक्षता, समानता और न्याय के अन्य सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) द्वारा बाध्य नहीं होना चाहिए।"

एच.

181

केनरा बैंक बनाम जी. एस. जयराम

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

योग्यता या निपटान समझौते के संदर्भ में सभी पक्षों और उनके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(2) इस अधिनियम के तहत स्थायी लोक न्यायालय के प्रत्येक निर्णय को दीवानी न्यायालय का आदेश माना जाएगा।

बी.

(3) इस अधिनियम के तहत स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया पुरस्कार स्थायी लोक अदालत का गठन करने वाले अधिकांश व्यक्तियों द्वारा दिया जाएगा।

(4) इस अधिनियम के तहत स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा और किसी भी मूल मुकदमे, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

सी.

(5) स्थायी लोक न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को स्थानीय अधिकार क्षेत्र वाले दीवानी न्यायालय को प्रेषित कर सकती है और ऐसा दीवानी न्यायालय आदेश को इस तरह निष्पादित करेगा जैसे कि यह उस न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री हो।" धारा 22-ई की उप-धारा (1) में कहा गया है कि स्थायी लोक अदालत का अधिनिर्णय, चाहे वह किसी निपटान समझौते से उत्पन्न हो या विवाद के गुण-दोष तय करने के बाद, सभी पक्षों और उनके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।उप-धारा (2) में प्रावधान है कि स्थायी लोक न्यायालय के निर्णय को दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाएगा।उप-धारा (3) में प्रावधान है कि स्थायी लोक अदालत के प्रत्येक पुरस्कार का निर्णय इसके घटक सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा।उप-धारा (4) दोहराती है कि पुरस्कार अंतिम होगा और किसी भी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा।अंत में, उप-धारा (5) में यह निर्धारित किया गया है कि स्थायी लोक न्यायालय अपने द्वारा दिए गए पुरस्कार को स्थानीय अधिकार क्षेत्र वाले दीवानी न्यायालय को प्रेषित कर सकती है, और ऐसा दीवानी न्यायालय आदेश को इस तरह निष्पादित करेगा जैसे कि यह उस न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री हो।

डी.

ई.

एफ.

21. एल. एस. ए. अधिनियम के प्रावधानों के उपरोक्त सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों के बीच समानताएं हैं:(i) वे दोनों अपने समक्ष पक्षकारों के साथ सुलह की कार्यवाही का प्रयास कर सकते हैं, और पक्षकारों द्वारा सहमत समझौते की शर्तों को दर्ज करते हुए पुरस्कार पारित कर सकते हैं (धारा 20 (3) और 22-सी (7)); (ii) ऐसा करने में, वे दोनों न्याय, समानता, निष्पक्षता और अन्य कानूनी सिद्धांतों (धारा 20 (4) और 22-डी) के सिद्धांतों से बंधे हैं; और (iii) उनके पुरस्कार, जिन्हें अदालतों की फरमान माना जाता है, अंतिम होंगे और उन्हें अपील (धारा 21 और 22-ई) में चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर भी, इन समानताओं के बावजूद, क़ानून के तहत महत्वपूर्ण अंतर हैं।

जी.

एच.

22. जबकि स्थायी लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में विवादों तक सीमित है, महत्वपूर्ण रूप से, इसकी शक्तियां कई मामलों में लोक अदालत से अधिक व्यापक हैं:

(i) पार्टियां धारा 22-सी (1) के तहत सीधे स्थायी लोक अदालतों से संपर्क कर सकती हैं, जबकि लोक अदालतों को उनके मामले अदालतों द्वारा भेजे जाते हैं जहां विवाद लंबित है (धारा 20 (1) के तहत) या प्राधिकरण या समिति द्वारा धारा 19 (1) के तहत लोक अदालत का आयोजन करने के बाद उन्हें पार्टियों से प्राप्त होता है (धारा 20 (2) के तहत)।वास्तव में, स्थायी लोक न्यायालय में किया गया एक आवेदन एक दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटा देता है (धारा 22-सी (2) के तहत);

बी.

सी.

(ii) स्थायी लोक अदालतें पक्षों को लिखित प्रस्तुतियाँ, उत्तर, साक्ष्य और दस्तावेज जमा करने का निर्देश दे सकती हैं (धारा 22-सी (3));

(iii) पक्षकारों के साथ सुलह का प्रयास करने के अलावा, स्थायी लोक अदालतें भी किसी विवाद पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले सकती हैं यदि समझौता विफल हो जाता है (धारा-ग (7)); और

डी.

(iv) स्थायी लोक न्यायालयें स्थानीय अधिकार क्षेत्र वाले दीवानी न्यायालय को दिए गए निर्णय को प्रेषित कर सकती हैं, और ऐसा दीवानी न्यायालय आदेश को इस तरह निष्पादित करेगा जैसे कि यह उस न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री हो (धारा 22-ई (5))।

ई.

स्थायी लोक अदालत को व्यापक शक्तियों को सौंपने का समर्थन इसकी सदस्यता द्वारा किया जाता है, जिसमें एक जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसने जिला न्यायाधीश से उच्च पद पर न्यायिक पद संभाला हो (लोक अदालतों में केवल न्यायिक अधिकारियों की तुलना में)।

एफ.

सी**. 2** सुलह कार्यवाही की अनिवार्य प्रकृति

23. अब हमें पहले मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात, क्या स्थायी लोक अदालतों के समक्ष सुलह की कार्यवाही अनिवार्य है, इससे पहले कि वे अपने गुण-दोष पर किसी विवाद का निर्णय ले सकें।

जी.

24. धारा 22-सी के खाली पढ़ने से इस मुद्दे का स्पष्ट रूप से समाधान हो जाता है। धारा 22-सी एक चरण-दर-चरण योजना प्रदान करती है कि किसी मामले को स्थायी लोक अदालत के समक्ष कैसे आगे बढ़ाया जाए।पहला कदम उस आवेदन को दाखिल करना है जो उप-धारा (1) और (2) के अनुसार अन्य दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हटा देता है।दूसरा कदम स्थायी लोक ए के समक्ष आवश्यक प्रस्तुतियाँ और दस्तावेज़ दाखिल करना है।

एच.

183

केनरा बैंक बनाम जी. एस. जयराम

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

अदालत, उप धारा (3) के अनुसार।अपनी संतुष्टि के लिए तीसरा कदम पूरा करने पर, स्थायी लोक अदालत उप-धारा (4), (5) और (6) के अनुसार पक्षों के बीच सुलह के प्रयास के चौथे चरण की ओर बढ़ सकती है।तत्पश्चात, उप-धारा (7) के अनुसार पांचवें चरण में, स्थायी लोक अदालत को सुलह की कार्यवाही के आधार पर समझौते की शर्तें तैयार करनी होती हैं और उन्हें पक्षों को प्रस्तुत करना होता है।यदि पक्षकार सहमत होते हैं, तो स्थायी लोक अदालत को समझौते की सहमत शर्तों के आधार पर एक पुरस्कार पारित करना होता है।केवल तभी जब पक्ष पांचवें चरण पर एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, स्थायी लोक अदालत अंतिम चरण पर आगे बढ़ सकती है और अपने गुण-दोष के आधार पर विवाद का फैसला कर सकती है।

बी.

सी.

25. इस तरह की व्याख्या का समर्थन बार काउंसिल ऑफ इंडिया (उपरोक्त) में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से भी किया जाता है, जिसमें एल. एस. ए. अधिनियम के अध्याय VI-ए की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया था।पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्थायी लोक अदालतें पक्षों के बीच समझौता करने का प्रयास करने और विफल होने के बाद ही किसी विवाद के गुण-दोष पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेंगीः

डी.

“22. 1987 के अधिनियम में 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया अध्याय VI-A, जैसा कि इसके शीर्षक से पता चलता है, मुकदमे से पहले सुलह का प्रावधान करता है।

और निपटान प्रक्रिया। सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के संबंध में विवादों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और सुलह और निपटान द्वारा सीमा पर उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

ई.

और यदि किसी कारण से ऐसा प्रयास विफल हो जाता है, तो ऐसे विवादों का जल्द से जल्द एक उपयुक्त तंत्र के माध्यम से निर्णय लिया जाए।

23. उद्देश्यों और कारणों का विवरण स्वयं अध्याय VI-A की मुख्य विशेषताओं को बताता है। इस कानून को लाकर,

एफ.

इस तरह के विवाद के पक्षकारों को पहले स्थायी लोक अदालत के प्रयासों के माध्यम से अपने विवाद को निपटाने का अवसर प्रदान करके सार्वजनिक उपयोगिता सेवा से संबंधित मुकदमेबाजी को शुरू में ही समाप्त करने की कोशिश की जाती है और यदि ऐसा प्रयास किया जाता है।

जी.

तब स्थायी लोक अदालत के निर्णय के माध्यम से पक्षों के बीच विवाद का निर्णय लेने में विफल रहता है।

[...]

26. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों को स्थायी को सौंपा गया है।

एच.

लोक अदालतें तभी चलती हैं जब सुलह और समझौते की प्रक्रिया विफल हो।स्थायी लोक अदालत के माध्यम से सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे पर बल दिया जाता है।यही कारण है कि

धारा 22-सी की उप-धारा (1) में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि विवाद का कोई भी पक्ष किसी भी न्यायालय के समक्ष विवाद को लाए जाने से पहले स्थायी लोक न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

बी.

विवाद का समाधान।इस प्रकार, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के मामलों में पक्षों के बीच विवाद का समाधान मुख्य है।

विषय वस्तु।हालाँकि, जहाँ स्थायी लोक अदालत के प्रयासों और प्रयासों के बावजूद पक्षों के बीच समझौता नहीं हुआ है और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के निर्णय में देरी से बचने के लिए पक्षों को अपने विवाद का निर्धारण और निर्णय लेने की आवश्यकता है, संसद ने हस्तक्षेप किया है और स्थायी लोक अदालत को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की है।"

सी.

(बल दिया गया)

डी.

26. हालाँकि, अपीलार्थी का तर्क है कि यदि विरोधी पक्ष स्थायी लोक अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो वह सुलह की कार्यवाही को समाप्त कर सकता है और धारा 22-सी (8) के तहत विवाद पर तुरंत निर्णय ले सकता है।हम इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।भले ही विरोधी पक्ष उपस्थित न हो, फिर भी स्थायी लोक अदालत धारा 22-सी द्वारा निर्धारित चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है। धारा 22-सी (3) के तहत, इसके लिए पक्ष को अपनी प्रस्तुतियाँ और दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता होगी, और उन्हें अपनी प्रतिक्रिया के लिए विरोधी पक्ष को सूचित करने का सर्वोत्तम प्रयास करना होगा।यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि अनुपस्थित विरोधी पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो स्थायी लोक अदालत तब भी धारा 22-सी (4) के तहत विवाद को निपटाने का प्रयास करेगी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 22-सी (5) स्थायी लोक अदालत पर विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के प्रयास में स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का कर्तव्य अधिरोपित करती है, जबकि धारा 22-सी (6) स्थायी लोक अदालत के समक्ष उपस्थित पक्ष पर सद्भावना से सहयोग करने और स्थायी लोक अदालत की सहायता करने का कर्तव्य अधिरोपित करती है।इसके बाद, स्थायी लोक अदालत, उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, समझौते की शर्तों का प्रस्ताव करेगी और उन्हें दोनों पक्षों को सूचित करेगी, चाहे उन्होंने कार्यवाही में भाग लिया हो या नहीं। यदि स्थायी लोक अदालत के समक्ष उपस्थित पक्ष सहमत नहीं होता है या यदि अनुपस्थित पक्ष पर्याप्त समय में जवाब नहीं देता है, तो ही ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

स्थायी लोक अदालत धारा 22-सी (8) के तहत विवाद पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय देती है।धारा 22-डी में निहित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, स्थायी लोक अदालत एक बार फिर अनुपस्थित पक्ष को उसके गुण-दोष के आधार पर विवाद पर निर्णय लेने के अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगी, यदि वह उस स्तर पर कार्यवाही में शामिल होना चाहता है।

27. धारा 22-सी (8) पूरी तरह से स्पष्ट है कि यह केवल तभी प्रभावी होती है जब धारा 22-सी (7) के तहत कोई समझौता विफल हो जाता है।इसका परिणाम यह है कि धारा 22-सी (7) के तहत समझौते की प्रस्तावित शर्तें और इससे पहले की सुलह कार्यवाही अनिवार्य हैं।यदि स्थायी लोक अदालतों को केवल एक पक्ष के अनुपस्थित होने के कारण इस कदम को दरकिनार करने की अनुमति दी जाती है, तो यह उनकी योग्यता के आधार पर विवादों का फैसला करने और पुरस्कार जारी करने के समान होगा जो अंतिम, बाध्यकारी होंगे और जिन्हें दीवानी अदालतों के फरमान माना जाएगा।एल. एस. ए. संशोधन अधिनियम पेश करने के समय संसद का यह इरादा नहीं था। इसका मुख्य लक्ष्य अभी भी सार्वजनिक उपयोगिताओं के संबंध में विवादों का सुलह और निपटान था, जिसमें गुण-दोष पर निर्णय हमेशा अंतिम उपाय था।इसलिए, हम मानते हैं कि एल. एस. ए. अधिनियम की धारा 22-सी के तहत सुलह की कार्यवाही प्रकृति में अनिवार्य है।

बी.

सी.

डी.

सी**. 3** क्या स्थायी लोक अदालत के निर्णयात्मक कार्य हैं

28. दूसरा मुद्दा जो इस न्यायालय के समक्ष विवाद में है, वह यह है कि क्या स्थायी लोक अदालत का कोई न्यायिक कार्य है।जैसा कि एल. एस. ए. संशोधन अधिनियम के साथ वस्तुओं और कारणों में उजागर किया गया है, इसकी शुरुआत ने दो अलग-अलग प्रकार की लोक अदालतों का निर्माण किया।पहला एल. एस. ए. अधिनियम की धारा 19 के तहत गठित एक लोक अदालत है, जिसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, जो केवल सुलह की कार्यवाही कर सकती है।दूसरा एक स्थायी लोक अदालत है, जिसे सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में एल. एस. ए. अधिनियम की धारा 22-बी (1) के तहत स्थापित किया गया है, जो एल. एस. ए. अधिनियम की धारा 22-सी के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अधीन सुलह और निर्णयात्मक दोनों कार्यों को कर सकती है। एल. एस. ए. अधिनियम की योजना दो प्रकार की

लोक अदालतों के बीच अंतर को स्पष्ट करती है।एल. एस. ए. अधिनियम की धारा 20 में प्रावधान है कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षों के बीच समझौता या समझौता करना होगा।यदि ऐसा कोई समझौता या समझौता नहीं होता है, तो मामले का रिकॉर्ड उस न्यायालय को वापस कर दिया जाता है जिससे लोक न्यायालय को संदर्भ प्राप्त हुआ था।इसके बाद न्यायालय विवाद का फैसला करने के लिए आगे बढ़ेगी।दूसरी ओर, एल. एस. ए. अधिनियम की धारा 22-सी में प्रावधान है कि विवाद का एक पक्ष, विवाद को सामने लाने से पहले

ई.

एफ.

जी.

एच.

न्यायालय, यानी मुकदमेबाजी से पहले के चरण में, किसी विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक न्यायालय में आवेदन कर सकती है।स्थायी लोक अदालत पहले सुलह की कार्यवाही का संचालन करेगी और विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास करेगी।हालांकि, यदि पक्ष किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो यह विवाद का फैसला करेगा, जब तक कि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है।धारा 22-डी आगे इंगित करती है कि स्थायी लोक अदालत को गुण-दोष के आधार पर पक्षों के बीच विवाद का फैसला करने का अधिकार है।

बी.

29. यूनाइटेड इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामअजय सिन्हा और

ओआरएस। 16, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि पक्षों के बीच सुलह विफल हो जाती है तो स्थायी लोक अदालत एक न्यायिक भूमिका निभाती है।स्थायी लोक अदालत की शक्ति पर स्पष्टीकरण देते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

सी.

“25. अध्याय VI-A स्वतंत्र रूप से खड़ा है।जबकि अध्याय का शीर्षक पूर्व-मुकदमेबाजी, सुलह और निपटारे की बात करता है, अधिनियम की धारा 22-सी (8) निर्धारण की बात करती है। यह एक अन्य न्यायिक प्राधिकरण का निर्माण करता है, जिसका निर्णय एक कानूनी कल्पना द्वारा एक दीवानी न्यायालय का निर्णय होगा।उसे किसी मामले का फैसला करने का अधिकार

है।"निर्णय" शब्द का अर्थ है निर्धारित करना; एक निश्चित राय बनाना; निर्णय देना।(एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, तीसरा संस्करण, 2005 पृष्ठ पर देखें।1253.)स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया कोई भी पुरस्कार एक फरमान के रूप में निष्पादित किया जा सकता है।इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी।स्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है।जहां एक ओर, संसदीय इरादे को ध्यान में रखते हुए, बातचीत, सुलह, मध्यस्थता, लोक न्यायालय और न्यायिक निपटारे के माध्यम से सभी विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, वहीं यह भी समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छीनने की मांग की जाती है, वहां वैधानिक प्रावधान सख्त निर्माण के योग्य हैं।इस प्रकार एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। कानून के तहत एक न्यायालय बनाई जा सकती है।इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा होना चाहिए।इस तरह के प्रावधान के निर्माण के लिए मानव अधिकार का हिस्सा होने के नाते न्यायाधिकरण की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।जब एक न्यायालय बनाई जाती है, तो सत्ताधारियों को आई. एस. निर्धारित करने के लिए पात्र होना चाहिए।

डी.

ई.

एफ.

जी.

[...]

16 (2008) 7 एससीसी 454 ए

एच.

187

केनरा बैंक बनाम जी. एस. जयराम

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

...स्थायी लोक अदालत केवल एक मध्यस्थ की भूमिका को नहीं अपनाती है जिसका पुरस्कार चुनौती का विषय हो सकता है, बल्कि एक न्यायनिर्णायक की भूमिका भी हो सकती है।संसद ने स्थायी लोक अदालत को इस मामले पर निर्णय लेने का अधिकार दिया है।इसमें निर्णय लेने की भूमिका है।"

इसी तरह**,** इंटर ग्लोब एविएशन बनाम एन**.** सच्चिदानंद **17** में**,** यह

बी.

न्यायालय ने कहा कि स्थायी लोक अदालत की भूमिका एक सुलह निकाय से एक न्यायिक निकाय में परिवर्तित हो जाती है, यदि पक्ष एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, जहां वह पक्षों के बीच विवाद का फैसला कर सकता है।30. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 22-सी (8) के संदर्भ में मुकदमेबाजी से पहले के चरण में विवादों पर निर्णय लेने की स्थायी लोक अदालत की शक्ति संवैधानिक है।इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

सी.

"26. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों को स्थायी लोक अदालतों को तभी सौंपा गया है जब सुलह और निपटान की प्रक्रिया विफल हो। स्थायी लोक अदालत के माध्यम से सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे पर बल दिया जाता है।यही कारण है कि धारा 22-सी की उप-धारा (1) में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि विवाद का कोई भी पक्ष विवाद के निपटारे के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष लाए जाने से पहले स्थायी लोक न्यायालय में आवेदन कर सकता है।इस प्रकार, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के मामलों में पक्षों के बीच विवाद का समाधान

डी.

ई.

यह मुख्य विषय है।हालाँकि**,** जहाँ स्थायी लोक अदालत के प्रयासों और प्रयासों के बावजूद पक्षों के बीच समझौता नहीं हुआ है और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के निर्णय में देरी से बचने के लिए पक्षों को अपने विवाद का निर्धारण और निर्णय लेने की आवश्यकता है**,** संसद ने हस्तक्षेप किया है और स्थायी लोक अदालत को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की है।**27.** क्या स्थायी लोक अदालतों को एक विशिष्ट आर्थिक सीमा तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा से संबंधित पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की जा सकती है**,** यदि वे धारा **22-**सी **(8)** के तहत प्रदान किए गए किसी भी अपराध से संबंधित नहीं हैं**,** तो उन्हें असंवैधानिक और तर्कहीन कहा जा सकता है**?**हम नहीं सोचते हैं।यह एक स्थापित कानून है जो एक प्राधिकरण को अधिकार देता है

एफ.

जी.

17 (2011) 7 एस. सी. सी. 463, अनुच्छेद 27

एच.

पक्षों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करना और एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करना आवश्यक नहीं है कि न्यायालय के सभी निहितार्थ हों।जो आवश्यक है वह यह है कि यह कानून का एक सृजन होना चाहिए और निष्पक्ष खेल और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप उचित अवसर देने के बाद इसके समक्ष पक्षों के बीच विवाद का निर्णय लेना चाहिए।यह किसी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वह केवल न्यायालय के माध्यम से विवाद का निर्णय ले।अध्याय **VI-A**

बी.

मामले को न्यायालय में लाए जाने से पहले सार्वजनिक उपयोगिता सेवा से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए स्थायी लोक न्यायालयों की स्थापना के माध्यम से एक संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है और किसी भी समझौते तक पहुंचने में विफल रहने की स्थिति में, स्थायी लोक न्यायालय को इस तरह के विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है यदि यह किसी अपराध से संबंधित नहीं है।"

सी.

(बल दिया गया)

31. हम दोहराते हैं कि एल. एस. ए. अधिनियम की धारा 19 के तहत गठित लोक अदालत की शक्तियों को एल. एस. ए. अधिनियम की धारा 22-बी के तहत स्थापित स्थायी लोक अदालत को दी गई शक्तियों की प्रकृति से अलग किया जाना चाहिए। यह एल. एस. ए. अधिनियम की धारा 19 के तहत गठित लोक अदालतों के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करने के संदर्भ में है कि इस न्यायालय ने माना है कि लोक अदालत एल. एस. ए. अधिनियम 18 की धारा 20 के संदर्भ में कोई न्यायिक कार्य नहीं कर सकती है।

डी.

ई.

डी निष्कर्ष

32. कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 3 जुलाई 2019 के आदेश में कहा कि स्थायी लोक अदालत का कोई न्यायिक कार्य नहीं है।एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 6 मार्च 2021 के अपने विवादित फैसले में बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि स्थायी लोक न्यायालय पक्षों के बीच विवाद का निर्णय लेने में एक नियमित दीवानी न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकती है।एल. एस. ए. अधिनियम के हमारे विश्लेषण और इस न्यायालय के उदाहरणों के आधार पर, ऐसी समझ स्पष्ट रूप से गलत है।इसलिए, हम मानते हैं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और खंड पीठ की ये टिप्पणियां गलत थीं।

एफ.

जी.

18 भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम सुरेश कुमार **(2011) 7** एस**.** सी**.** सी**. 491;** पंजाब राज्य बनाम जालौर सिंह और अन्य। **(2008) 2** एस**.** सी**.** सी**. 660;** एस्टेट अधिकारी बनाम कर्नल एच**.** वी**.** मनकोटिया **(2021)** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 898;** और न्यू ओखला औद्योगिक विकास

प्राधिकरण बनाम यूनुस और अन्य। (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 138 ए

एच.

189

केनरा बैंक बनाम जी. एस. जयराम

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

33. साथ ही, खंड पीठ ने अपने विवादित फैसले में यह भी कहा कि स्थायी लोक अदालत वर्तमान मामले में अनिवार्य सुलह कार्यवाही का पालन करने में विफल रही।यह अवलोकन सही है क्योंकि स्थायी लोक अदालत का निर्णय पक्षों को समझौते की शर्तों का प्रस्ताव देने और उनकी अस्वीकृति के लिए किए गए किसी भी प्रयास का संकेत नहीं देता है।इसमें कहा गया है कि एक बार जब प्रत्यर्थी और उसका गारंटर पेश नहीं हुए, तो उसने प्रत्यर्थी के पक्ष में गुण-दोष के आधार पर विवाद का फैसला किया।इस फैसले में पहले बताए गए कारणों से, स्थायी लोक अदालत ऐसा नहीं कर सकती थी।इसलिए, केवल इस बिंदु पर, हम स्थायी लोक अदालत के 19 नवंबर 2014 के फैसले को दरकिनार करते हुए डिवीजन बेंच के अंतिम फैसले को बरकरार रखते हैं।

बी.

सी.

34. नतीजतन, हम मानते हैं कि स्थायी लोक अदालतों की न्यायिक शक्तियों के संबंध में विवादित फैसले में खंड पीठ की टिप्पणियां गलत थीं, जबकि अपने अंतिम निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए क्योंकि स्थायी लोक अदालत वर्तमान मामले में अनिवार्य सुलह कार्यवाही का पालन करने में विफल रही।हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने पक्षों के बीच विवाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है और पक्षों के सभी अधिकारों और तर्कों को खुला रखा गया है।35. मामले की परिस्थितियों में, इस बारे में कोई आदेश नहीं होगा

डी.

लागतें।

36. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

ई.

निधि जैन

अपील का निपटारा किया गया।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.